

संख्या:- इ०डी०एन०-एच०इ०(२१)ए०(३)०६ / २०१९-बी
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-१
Tel:0177&2653120, Extn-234, Fax:2812882, E-mail:dhe-sml-hp@nic.in.

सेवा में

दिनांक शिमला-१ अगस्त, 2020

1. समस्त उप-शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश
2. समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/ उच्च पाठशालाएं,
हिमाचल प्रदेश

24 AUG 2020

विषय:-

शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क व निधियों को लेने बारे।

उपरोक्त विषय पर, जैसाकि आपको विदित है कि COVID-19 महामारी के कारण वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थान मार्च माह से बन्द हैं। अतः COVID-19 महामारी का ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों की विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को online/offline प्रणाली के माध्यम द्वारा पूर्ण किया जाए। जिस बारे प्रदेश के स्कूलों के प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को विभाग द्वारा विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया को online/offline प्रणाली के माध्यम द्वारा पूर्ण करने हेतु समय-समय दिशा निर्देश भी जारी किए गए।

क्रमशः विद्यार्थियों की विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को online/offline प्रणाली के माध्यम से करने के कारण विद्यार्थियों से सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा संहिता-2012 के अध्याय-4 पर निर्धारित तथा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों अनुसार प्रवेश शुल्क व अन्य निधियाँ एकत्रित नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में, आपको निर्देश दिए जाते हैं कि COVID-19 महामारी का ध्यान में रखते हुए वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा संहिता-2012 के अध्याय-4 पर निर्धारित तथा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क व अन्य निधियों को यदि सम्भव हो तो विद्यालय के बचत खाता में तत्काल निपटान (RTGS) के माध्यम द्वारा एकत्रित करें अथवा लॉकडाउन के उपरान्त विद्यालयों के पुनः शुरू होने के उपरान्त वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में इस विद्यार्थियों से जारी किए गए दिशा निर्देशों अनुसार एकत्रित किया जाए।

(डा० अमरजीत कुमार शर्मा),
शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-१

पृष्ठांकन संख्या: सम दिनांक शिमला-१ अगस्त, 2020
प्रतिप्रति सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२.
2. तकनीकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को निर्देश दिए जाते हैं कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
3. रक्षक नस्ति।

पृष्ठांकन संख्या:- शिक्षा जी 2 आर (एडमिशन) / 1327 दिनांक 28-8-2020, ऊना

कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर) ऊना जिला ऊना (हि०प्र०) शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-१

समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक / रा०व०मा०पा० / रा०ऊ०पा० जिला ऊना

(हि०प्र०) को सूचना तथा आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

शिक्षा उप निदेशक(उच्चतर)

ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)